


13-06-23

वादीगण की ओर से वकील वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली वैसी में ली गई। वादीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि पक्षकारान का पंचायत में राजीनामा हो गया है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। अतः वादीगण का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर यह वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद तस्वीर तममील होकर नभवा से कम होकर शामिल दफ्तर ले।

निर्णय लिखा जाकर लुले न्यायालय में बुनाया गया।


(अमिता बिश्नोई)
RAS.

उपसंहार अधिकारी
घड़साना

मैं मुफ्तपत्र ही-खसाना
चाहती

सैबिका

पहचानना
Deleef Singh